

(c) the reaction of Government regarding the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M. TRIVEDI): (a) and (b). A copy of the Report prepared by an expert Sub-Committee of the All India Manufacturers Association, Bombay, which contained some suggestions for development of port facilities, was received in August, 1972.

(c) The Report was examined. No specific action was required on the Report.

12 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, हम ने एक विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को मुवह समझाया था, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बारे में है। आप नहीं सकता। यह मैं ने आप को अपनी संस्वर में समझाया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, 4 दिसम्बर को जो कुछ कहा गया प्रधान मंत्री की ओर से वह केवल प्रश्नों के बारे में नहीं था। उन का वक्तव्य असंदिग्ध है, दो टूक है।

"No circular has gone from the Prime Minister's Secretariat in my time....neither verbally nor orally...."

वह कुछ गलत छया है, मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटैरियट में डिबेट को करकेट करने का कोई प्रवन्ध नहीं है।

फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है :

"I have not seen the old papers. In my time, no such circular has gone. I do not normally look into questions unless a Minister wants to ask my advice or feels that I should know."

लेकिन कल हमारे सवाल के जवाब में जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा है वह पहले 4 दिसम्बर के वक्तव्य से अलग है। कल उन्होंने कहा, हाँ, 28 अक्टूबर को...

The MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): On a point of order. (Interruptions): I can also raise a point of order regarding the business of the House. We have received a copy that motion, but we had no intimation that it would be discussed today here. That was all I wanted to say.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अगर वह समय चाहते हैं तो हम मन्दा देने के लिये तैयार हैं। मैं तो आपकी इजाजत चाहता हूँ स्वेप्चन रोज करने के लिये।

MR. SPEAKER: I had not allowed it as a privilege.

लेकिन अगर आप इस के ऊपर चाहेंगे तो उन को भेज दें।

I had not accepted it. You just got up without my permission.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो आप से मदमिशन करेंगे। कल जो वक्तव्य दिया गया है उस में यह माना है कि 28 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर इस प्रकार है :

"The undersigned is directed to say that as in the past the Prime Minister would like to see advance copies of all statements to be made in Parliament by Ministers as also the brief for answering supplementaries to questions, if any. The Ministries are therefore requested

to forward four copies of such statements and briefs to this Secretariat as soon as they are finalised.

During the working hours these copies may kindly be sent to Mr. B. N. Tandon, Joint Secretary to the Prime Minister, Room No. 8, Parliament House; and at the Prime Minister's House after working hours and on holidays."

श्री अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को जो कुछ कहा था वह कहा था प्राग्म. सर्कुलर है जिस में कश्मीर के बारे में कहा गया था कि जो भी जवाब देना हो वह प्राइम मिनिस्टर को दिखा लिया जाय। लेकिन जो 28 अक्टूबर का जनरल सर्कुलर है, और यह कहना ठीक नहीं है कि खाली स्टेटमेंट के बारे में है, सप्लीमेंटरी के बारे में नहीं है। क्वेश्चन के सप्लीमेंटरी भी होते हैं। स्टेटमेंट के क्लेरिफिकेशन होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस को छोड़िये। बात यह है कि उन्होंने पिछली दफा कहा था कि यह कोई नई बात नहीं है। पहले यह जारी था हम ने इस को रिवाइव किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह नहीं कहा।

MR. SPEAKER: 'As in the past'. That is in that paper also. This was just revived.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले जो कहा था वह मैं पढ़ कर सुना दूँ।

अध्यक्ष महोदय : पेपर जो मैं ने देखा वह मैं ने बताया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

"Earlier on, I am not quite sure, what date in 1964 and perhaps once before, a suggestion was made that questions pertaining to Pakistan and Kashmir should be shown to the Prime Minister"

मगर अब जो सर्कुलर है वह केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। अब तो सब मंत्रियों को लपेटना है।

अध्यक्ष महोदय : उन को प्रक्रियार है, प्राइम मिनिस्टर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर वह समय चाहते हैं तो समय दीजिये। मगर जानबूझ कर मदन को गुमराह किया गया है तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

12.05 hrs.

PAPERS LAID ON TABLE

REPORTS OF MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION re: M/s. LARSEN AND TOUBRO LTD., M/s. CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD., MADRAS, M/s. HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION LTD., BOMBAY AND M/s. LUCAS-TVS LTD., MADRAS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports (Hindi version) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission under section 62 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:—

(1) Report under section 23(6) of the said Act in the case of M/s Larsen and Toubre Limited and the Order dated the 11th October, 1972 of the Central Government.

(2) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s. Carborundum Universal Limited, Madras and the Order dated the 1st October, 1971 of the Central Government thereon.